एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के संशोधित दिशानिर्देश(आईएलसीएस)

I भूमिका

मैला ढोने वालों की मैला ढुलान कार्य से मुक्ति के लिए कम लागत सफाई की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरु की गई थी जिसे बाद में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया । वर्ष 1989-90 से इस स्कीम का कार्यान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा और बाद में शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय, जिसका नाम अब आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय कर दिया गया है , द्वारा किया जा रहा है । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत के जल प्रवाही शौचालयों में बदलना और जहां पर ऐसे शौचालय नहीं हैं, वहां पर शौचालयों का निर्माण करना है ।

II. उद्देश्य

स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्थिति के अनुरुप समुचित परिवर्तन करके (क्षेत्र विशिष्ट शौचालय) तथा अधिसंरचनाओं सहित दो गड्ढ़े वाले जल वाही शौचालयों का निर्माण करके और जहां ईडब्ल्यूएस परिवारों के पास में कोई शौचालय नहीं है व खुले में मल त्याग की प्रथा मौजूद है, वहां नए शौचालयों का निर्माण करके कम लागत की सफाई यूनिटों का निर्माण/परिवर्तन करना है । इससे कस्बे में समग्र सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा ।

III. कस्बों का चयन

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कस्बों का चयन उनकी आबादी मानदंड का ध्यान रखे बिना तथा शहरी क्षेत्रों में जिन ईडब्ल्यूएस परिवारों के पास कोई शौचालय नहीं है और खुले में मल त्याग करते हैं, का भी ध्यान रखे बिना किया जाना है । शुष्क शौचालयों की मौजूदगी के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे । ऐसे कस्बों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें शुष्क शौचालय सर्वाधिक हैं । ऐसे सभी कस्बों के लिए स्कीम लागू होगी, जहां शुष्क शौचालय मौजूद हैं अथवा ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास कोई शौचालय नहीं है और खुले में मल त्याग करते हैं ।

IV. पात्रता

- स्कीम " सभी कस्बा" कवरेज आधार पर है ।

- शहरी स्थानीय निकाय अथवा संगठन, जैसे आवास बोर्ड, स्लम उन्मूलन बोर्ड, विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास, जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड , छावनी क्षेत्र इत्यादि द्वारा राज्य सरकारों से विधिवत प्राधिकृत प्रस्ताव कार्यक्रम से संबंधित राज्य शहरी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

- संबंधित शहरी स्थानीय निकाय/संगठन को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि वे तत्पश्चात् कस्बों में शुष्क शौचालयों का निषेध करेंगें ।

- राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया जाएगा, जिन्हें कुल परियोजना लागत के अतिरिक्त अधिकतम 15% तक वित्तपोषण किया जा सके , जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में केन्द्र और राज्यों द्वारा 5:1 के अनुपात में वहन की जाएगी । इसके अलावा, गैर सरकारी संगठनों को लाभार्थियों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण करना होगा और शहरी स्थानीय निकाय एक साल के भीतर किए जाने वाले सर्वेक्षणों के आधार पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रुप देंगे । गैर सरकारी संगठन बायोमेट्रिक फोटो पहचान पत्र भी जारी करेंगे, परिवर्तित यूनिटों के प्रचालन व रखरखाव की देखरेख भी करेंगे तथा चिन्हित लाभार्थियों की इच्छा से शहरी स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तथा अनुमानों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम /सेमिनार आयोजित करेंगे ।

V. लाभार्थियों का चयन

स्कीम में सभी आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग वाले परिवार शामिल हैं जिनके शुष्क शौचालय होते हैं और बिना कोई शौचालय वाले आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग वाले परिवार में नए शौचालय का निर्माण करना शामिल है ।

VI. वित्तपोषण पद्धति

स्कीम में वित्तपोषण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :-

1. केन्द्रीय सब्सिडी 75% , राज्य सब्सिडी 15% और लाभार्थी अंश 10%

भारत सरकार की सब्सिडी भाग की दूसरी किश्त (दिए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए चिन्हित कुल राशि के संदर्भ में) केवल प्रथम किश्त के लिए राज्य का अंश जारी करने के बाद ही जारी की जाएगी । सब्सिडी सीधे केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी । राज्य शहरी विकास अधिकरण (एसयूडीए), जिला शहरी विकास अधिकरण(डीयूडीए) या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी एजेंसी का वित्त पोषण किया जाएगा । गैर-सरकारी संगठनों तथा शहरी आधारभूत सेवा कार्यक्रम के लिए चयनित नगरपालिकाओं की सामुदायिक विस्तार इकाइयों की सेवाएआवास और शहरी गरीबी उपशमन भी समुदाय को प्रोत्साहन करने तथा तकनीकी सहायता के लिए ली जा सकती है ।

2. लागत की अधिकतम ऊपरी सीमा भी अधिसंरचना सहित एक गर्त जलवाली व्यैक्तिक शौचालय की एक इकाई के लिए 10,000 रुपए होगी । (राज्यों के दुर्गम /पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर) दुर्गम/पहाड़ी वर्ग में आने वाले राज्यों के लिए, प्रत्येक दो गर्त शुद्ध जल वाही शौचालय के लिए 25% अतिरिक्त लागत की व्यवस्था की जाएगी । अन्य शब्दों में, दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों के वर्ग से संबंधित राज्यों के लिए एक पूर्ण कम लागत सफाई इकाई की ऊपरी अधिकतम लागत सीमा 2,500 रुपए की जाएगी ।

3. कुल केन्द्रीय नियतन का 1% मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष रखा जाएगा जिसका उपयोग एमआईएस, निगरानी प्रणाली, क्षमता निर्माण तथा आईईसी घटक के लिए किया जाएगा । आईईसी राशि को सेनेटरी शौचालय, विद्यालयों और महाविद्यालयों, नेहरु युवक केन्द्रों में सफाई शिक्षा, गैर-विद्यार्थी युवा के लिए चेतना संघ, सर्वेक्षण करने, अखबारी- विज्ञापनों के उपयोग से लाभ उठाते हुए लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा मध्यावधिक मूल्यांकन अध्ययन आदि हेतु राज्य भी प्रयोग कर सकते हैं या इस स्कीम के अंतर्गत उनके नियतन का 1% एमआईएस, निगरानी प्रणाली, क्षमता निर्माण तथा आईईसी घटकों के लिए अलग से रख सकते हैं । रोकी हुई धनराशि अगर खर्च नहीं की जाती तो यह आईएलसीएस परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है । तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईईसी घटक राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हेतु मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य क्षेत्र दौरों पर हुए व्यय को और बाहर से मानवशक्ति जुटाने के व्यय को शामिल कर सकते हैं ।

4. मंत्रालय एक आईटी सक्षम एमआईएस और निगरानी प्रणाली विकसित करेगा और इस परियोजना के लिए निर्धारित 1% धनराशि से राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ऐसी ही प्रणाली निर्मित की जाएगी । एमआईएस और उपयोग प्रमाण पत्र सहित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा निगरानी जिसके कारण धनराशि की आगामी किस्तों को जारी करने में आसानी होगी ।

VII. स्कीम का कार्यान्वयन

स्कीम आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रुप से कार्यान्वित की जाएगी । भारत सरकार सब्सिडी की पहली किस्त ग्रांट एग्रीमेंट के हस्ताक्षरित होने के साथ संस्वीकृत की जाएगी बशर्तें कि कार्यान्वयन एजेंसियों की अपनी उपयोग क्षमता और क्षेत्र स्तरीय मांग के अनुसार वास्तविक मांग के संबंध में केन्द्रीय सब्सिडी दो किस्तों में जारी की जाएगी । 25% सब्सिडी स्कीम के अनुमोदन के तुरंत बाद जारी की जाएगी ।

राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट/चयनित शहरी स्थानीय निकाय या राज्य एजेंसियां , राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव भेज सकती है, जो राज्य समन्वयन समिति के द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिए जाएंगे । हडको के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल्यांकन के बाद इन्हें हडको के मुख्यालय को भेजेंगे । हडको मुख्यालय प्रस्तावों की जांच करेंगे और इन्हें केन्द्रीय समन्वय समिति को भेजेंगे ।

VIII. केन्द्रीय समन्वय समिति

स्कीम का कार्यान्वयन निम्न चरणों में होगा :-

- शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के लिए ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों और स्थानीय निकायों द्वारा राज्य में जिन ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों में शौचालय नहीं है की पहचान ।
- शुष्क शौचालयों को परिवर्तन और नए शौचालयों के निर्माण 75:25 के अनुपात के लिए प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा)/ जिला शहरी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य समन्वय समिति द्वारा उन पर विचार अनुमोदन एवं प्राथमिकता दी जाएगी ।
- राज्यों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं का हुडको के क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुवर्तन ।
- हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन और इसको हडको मुख्यालय को प्रस्तुत करना ।
- हडको मुख्यालय परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी और मंत्रालय के केन्द्रीय समन्वय समिति को विचार के लिए प्रस्तुत करेगी ।
- आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में कार्यान्वयन समिति का गठन सचिव(एचयूपीए) की अध्यक्षता में किया जाएगा । समिति के अन्य सदस्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य पर्यावरण एवं इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), हडको के प्रतिनिधि और संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि होंगे ।
- केन्द्रीय समन्वयन समिति का कार्य हडको द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और जारी धनराशियों पर विचार करना होगा ।

- केन्द्रीय समन्वय समिति एक व्यापक समीक्षा के लिए वर्ष के प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगी ।
- हडको परियोजनाओं की मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी ।

IX. राज्य समन्वय समिति

प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करेगी जिसमें हडको के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि और समाज कल्याण का कार्य देखने वाले विभाग समेत राज्य के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होगे जो राज्य स्तर पर परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदन करेगी और मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन सहित वास्तविक कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी । समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्कीम के कार्यान्वयन में सीमा से अधिक लागत और समय न लगे और राज्य एवं स्थानीय स्तर निकाय स्तर पर इस पर कठोर निगरानी रखेगी ।

***